

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 70/2013/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-सी, जोधपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स कोहीनूर इण्डस्ट्रीज़, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थितः:

श्री एन.एस.राठौड़,

उप राजकीय अधिवक्ता ।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री जे.एल.राठी,

अधिकृत प्रतिनिधि।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.03.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) की ओर से यह अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), जोधपुर-प्रथम (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.07.2012 जो अपील संख्या 62/सी.एस.टी./जेयूसी/2011-12 के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित परिशोधन आदेश दिनांक 07.12.2011 को अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2008-09 का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 20.01.2011 को किया जाकर तदनुसार मांग राशियां कायम की गयी । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 33 के तहत परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को जरिये आदेश दिनांक 07.12.2011 के अस्वीकार कर दिया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । उक्त पारित आदेश से व्यथित

लगातार.....2

होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित निर्धारण आदेश का समर्थन कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद एस.एस.शीट्स को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत 3 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, विधिक रूप से अंतर कर व ब्याज की मांग राशियां कायम की गयी हैं जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, पारित अपीलीय आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश का समर्थन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) का विक्रेता है। इस पीठ के समक्ष निर्णयार्थ बिन्दु शेष है वह यह कि एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) पर कर दर क्या होगी ?

इस संबंध में एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) केन्द्रीय अधिनियम के तहत घोषित वस्तु होने के उपरांत भी विशिष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) के संबंध में अधिसूचनायें जारी कर, एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) पर कर दर को स्पष्ट किया गया है। इस संबंध में किसी भी बिन्दु पर निर्णय से पूर्व इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को अध्ययन किया जाना समीचीन होगा जो इस प्रकार हैं:-

(a) अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स-डिवी/97-124 दिनांक 12.

**03.1997:-** In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of the said section, by any dealer having his place of business in the State, in respect of the **sale of iron and Steel**, made by him from any such place of business in the course of inter-State trade or commerce, shall be **calculated at the rate of 2%** on the condition of furnishing of declaration in Form "C" or certificate in Form "D".

7. उक्त अधिसूचना के अध्ययन से विवादित है कि राज्य में पंजीकृत व्यवहारी जिनका व्यवसाय स्थल राज्य में स्थित है, अंतर्राज्यीय व्यापार के



लगातार.....3

अनुक्रम में यदि ऑयरन व स्टील का विक्रय करते हैं तो उक्त पर कर दर घोषणा प्ररूप "सी" व "डी" प्रस्तुत करने की स्थिति में, 2 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी । उक्त जारी अधिसूचना के जरिये राज्य सरकार की मंशा समस्त प्रकार के ऑयरन व स्टील ही है जिसमें सभी प्रकार के स्टील व ऑयरन चाहे वह किसी भी आकार व प्रकार के हों ।

8. उक्त अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से स्पष्ट करते हुये एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)एफडीग्रIV/87-47 दिनांक 07.09.1991 द्वारा निम्न प्रकार जारी की गयी:- In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, and in supersession of this department notification F.4(19)FDGr.IV/82-3 dated 03-03-1982 the State Government hereby directs that with immediate effect, the tax payable in respect of **Stainless steel sheets by any dealer having his place of business in the State of Rajasthan from** any such place of business in the course of inter-State trade or commerce, shall be **calculated at the rate of 1%(one percent).**

9. तदुपरांत राज्य सरकार द्वारा पुनः अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(58)एफडी/टैक्स-डिवी/98-126 दिनांक 02.01.2002. प्रकाशित दिनांक 04.01.2002 द्वारा निम्न प्रकार जारी की गयी:- In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, and in supersession of this department notification F.(2)FDGr.IV/87-47 dated 07-09-1991 the State Government hereby directs that the tax payable in respect of **Stainless steel sheets and stainless steel circles by any dealer having his place of business in the State of Rajasthan from** any such place of business in the course of inter-State trade or commerce, shall be **calculated at the rate of 1/2%(half percent).**

**This notification shall remain in force upto 31-03-2004 or the date on which the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 comes into force whichever is earlier.**

10. उक्त अधिसूचना दिनांक 29.03.2007 तक प्रभावी रही जिसके पश्चात् दिनांक 30.03.2007 को एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफडी/टैक्स/2007-178 दिनांक 30.03.2007 निम्न प्रकार जारी की गयी:- In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Government hereby makes the

following amendment in this department notification F(58)एफडी/टैक्स-डिवी/98-126 दिनांक 02.01.2002 (as amended from time to time), re concessional rate of CST on sale of **Stainless steel sheets and stainless steel circles.**


**Amendment.- In the said notification the existing expression 31-03-2007 shall be substituted by the expression 31.03.2008.**

11. उक्त जारी अधिसूचना के जरिये राज्य सरकार द्वारा एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) के अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में उक्त पर कर दर अधिसूचना दिनांक 02.01.2002 अनुसार 0.5 प्रतिशत ही रखी गयी। इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त जारी अधिसूचना व उक्त वर्णित उत्पाद के अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में कर दर 0.5 प्रतिशत एवम् उक्त जारी अधिसूचना को दिनांक 31.03.2008 तक प्रभावी रखा गया।

12. यदि हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु अर्थात् एस.एस.शीट्स (Stainless Steel) के विक्रय के संबंध में दिनांक 31.03.2008 के पश्चात् एस. एस.शीट्स (Stainless Steel) पर कर दर के बिन्दु पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(44)एफडी/टैक्स/2007-09 दिनांक 17.04.2008 प्रकाशित दिनांक 21.04.2008 का अवलोकन करे तो यह निम्न प्रकार है:- In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Government hereby directs that tax in respect of sales of **Stainless steel sheets and stainless steel circles by any dealer having his place of business in the State of Rajasthan from** any such place of business in the course of inter-State trade or commerce, shall be **calculated at the rate of 0.5%(half percent) on the condition of furnishing of declaration in Form "C".**

13. उक्त जारी अधिसूचना दिनांक 17.04.2008 का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा 30.03.2007 जो दिनांक 31.03.2008 तक प्रभावी होना घोषित की गयी थी उक्त की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 16.04.2008 हस्तगत प्रकरण में विवादित वस्तु के विक्रय एस.एस. शीट्स (Stainless Steel) पर कोई कर दर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित होना घोषित नहीं की गयी थी।

14. अतः अब जो निर्णयार्थ बिन्दु शेष है कि दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 16.04.2008 तक उक्त वस्तु के विक्रय पर कर दर क्या हो ? इस संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया।



अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के तहत 3 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर व ब्याज की मांग राशियां कायम की गयी हैं । परन्तु यह भी निर्विवाद है कि स्टील केन्द्रीय अधिनियम के तहत घोषित वस्तु है जिस पर कर केन्द्रीय अधिनियम के तहत ही होना निश्चित है इस पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दर आरोपणीय नहीं है । इस संबंध में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

केन्द्रीय अधिनियम की धारा-14.-

**GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE IN INTER-STATE OR TRADE OR COMMERCE**

**Certain goods to be of special importance in inter-State trade or commerce**

It is hereby declared that the following goods are of special importance in

inter-State trade or commerce:-

(iv) iron and steel, that is to say,-

(i) pig iron, sponge iron and cast iron including ingot the moulds, bottom

plates, iron scrap, cast iron scrap, runner scrap and iron skull scrap ;

(ii) steel semis (ingots, slabs, blooms and billets of all qualities, shapes and sizes) ;

(iii) skelp bars, tin bars, sheet bars, hoe-bars and sleeper bars ;

(iv) steel bars (rounds, rods, squares, flats, octagons and hexagons, plain and ribbed or twisted, in coil form as well as straight

lengths) (v) steel structurals (angles, joists, channels, tees, sheet piling sections, sections or any other rolled sections) ;

(vi) sheets, hoops, strips and skelp both black and galvanised, hot and cold rolled, plain and corrugated, in all qualities, in straight lengths and in coil form, as rolled and in rivetted condition ;

(vii) plates both plain and chequered in all qualities ;

(viii) discs, rings, forgings and steel castings;

(ix) tool, alloy and special steels of any of the above categories.

15. उक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14(ix) के तहत विशेष प्रकार की स्टील एवम् केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14(IV) से (viii) के तहत वर्णित स्टील, चाहे वह विशेष स्टील अथवा अलौय

अपील संख्या- 70/2013/जोधपुर


स्टील हो केन्द्रीय अधिनियम की धारा-14 के तहत घोषित वस्तु एवम् ऑयरन स्टील की श्रेणी में आती है अर्थात् शीट्स यदि विशेष अथवा आलौय स्टील है तो वह ऑयरन स्टील की परिभाषा में सम्मिलित होगी। उक्त बिन्दु के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स बंसल वॉयर इण्ड. लि., बनाम यू.पी. राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 26.04.2011 30 टैक्स अपडेट 237 में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि :-

“The expression “of any of the above categories” appearing in entry Nos. (ix) and (xvi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Act would indicate that they would each be items referred in the preceding items. Therefore, even the expression “of any of the above categories” in entry No. (ix) of clause (iv) would relate to steel and alloy produced for any of the materials mentioned in item nos. (i) to (viii). This “stainless steel wire” produced by the appellant cannot be read into item no. (xv) which reads as “wire rods and wires-rolled, drawn, galvanized, aluminized, tinned or coated such as by copper”.

16. अतः माननीय न्यायालय द्वारा उपर अंकित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त, उक्त अधिसूचना व केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 के तहत वर्णित घोषित वस्तुओं के अध्ययन के पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.03.1997 के तहत 2 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य होना यह पीठ अवधारित करती है। फलस्वरूप इस हद तक अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है, जहां तक अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर निर्णयार्थ पश्चात् प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, उक्त का कोई औचित्य नहीं है।

17. परिणामतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

18. निर्णय सुनाया गया।

  
31-3-2014  
( मदन लाल )  
सदस्य